07. योजना अंतर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक 4989 वि० (2) दिनांक 16.05.2013 एवं अन्य अद्यतन परिपत्र/आदेश की सभी कंडिकाओं का अपेक्षित होगा।

08. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अंतर्गत किया जायेगा एवं समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

09. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्त नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संकल्पों व परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

10. जिस परियोजना हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है, उसी कार्य में राशि का व्यय किया जायेगा।

11. इस योजना की राशि की निकासी हेतु विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार का परामर्श संचिका संख्या–अ०स०क०–07–ग–एम०–32/2018 के पृ०– 71/टि० पर प्राप्त है।

12. उपर्युक्त पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– पत्रांक–अ०स०क०–07–ग–एम०–32/2018............................/ पटना–15, दिनांक............................

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– पत्रांक–अ०स०क०–07–ग–एम०–32/2018............................/ पटना–15, दिनांक............................

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– पत्रांक–अ०स०क०–07–ग–एम०–32/2018............................/ पटना–15, दिनांक............................

प्रतिलिपिः– महाप्रबंधक (वित्त)/(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– पत्रांक–अ०स०क०–07–ग–एम०–32/2018............................/ पटना–15, दिनांक............................

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– पत्रांक–अ०स०क०–07–ग–एम०–32/2018............................/ पटना–15, दिनांक............................

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

E-Mail

ज्ञापांक :– पत्रांक–अ०स०क०–07–ग–एम०–32/2018............................/ पटना–15, दिनांक............................

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

E-Mail

ज्ञापांक :– पत्रांक–अ०स०क०–07–ग–एम०–32/2018............................/ पटना–15, दिनांक............................

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वी मंजिल, पं० दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– पत्रांक–अ०स०क०–07–ग–एम०–32/2018......160....../ पटना–15, दिनांक....18/06/2018

प्रतिलिपिः– आई० टी० प्रबंधक/प्रोग्रामर (पी०एम०जे०वि०के० कोषांग), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक— अ0स0क0—07—ग—एम०—32 / 2018........................

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

**इबरार अहमद खाँ**, भा०प्र०से०
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

**महालेखाकार (ले० एवं ह०),**
बिहार, पटना।

पटना—15, दिनांक..............................

**विषयः—** **प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) अंतर्गत 23वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गीतावास, रानीगंज, जिला अररिया (01 इकाई) के भवन निर्माण हेतु विशेष राज्यांश के रूप में ₹18.12185 लाख (अट्ठारह लाख बारह हजार एक सौ पचासी) के व्यय पर सहमति प्रदान करते हुए निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

प्रसंगः— मुख्य महाप्रबंधक (परि०), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना पत्रांक— 1394, दिनांक— 26.05.2026

**आदेशः— स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम०एस०डी०पी०) के अंतर्गत 23वीं प्राधिकृत समिति में स्वीकृत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गीतावास, रानीगंज, जिला अररिया (01 इकाई) के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकी कार्यकारी एजेंसी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विषयांकित योजना की स्वीकृति प्रति इकाई रूपये 124.31 लाख की दर से प्रदान की गयी है। परन्तु कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्राप्त पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर अनुरोध पर ₹142.43185 लाख (एक करोड़ बयालीस लाख तेतालीस हजार एक सौ पचासी रूपये) मात्र पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि कार्यकारी एजेंसी द्वारा परियोजना का प्रथम एवं द्वितीय किरत केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जा चुका है।

2. कार्यकारी एजेंसी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक— BMSICL /80120/09-2022/1394, दिनांक—26.05.2026 द्वारा विषयांकित योजना के निर्माण कार्य हेतु विशेष राज्यांश की राशि रूपये 18,12,185/— (अट्ठारह लाख बारह हजार एक सौ पचासी) मात्र की अधियाचना के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ— 11 में अंकित राशि के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः—

*(राशि लाख रूपये में)*

| प्राधिकृत समिति | जिला एवं प्रखण्ड | परियोजना का नाम | अनुपात | इकाई की संख्या | इकाई की लागत | निर्धारित केन्द्रांश की राशि | निर्धारित राज्यांश की राशि | पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् योजना की कुल लागत राशि | प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् विशेष राज्यांश के रूप में स्वीकृत राशि | **विशेष राज्यांश** के रूप में व्यय हेतु स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 23वीं | अररिया (रानीगंज) | Const. of Additional Primary Health Centre in Geetawas | 60:40 | 01 | 124.31 | 74.59 | 49.72 | 142.43185 | 18.12185 | 18.12185 |
| **Total** | | | | **01** | **124.31** | **74.59** | **49.72** | **142.43185** | **18.12185** | **18.12185** |

**(अट्ठारह लाख बारह हजार एक सौ पचासी)**

03. उक्त राशि की निकासी मांग संख्या 30 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष 4250— अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 051—निर्माण, उपशीर्ष 0308—अल्पसंख्यकों के लिये बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम—विशेष राज्यांश, विपत्र कोड— 30—4250000510308, विस्तृत शीर्ष 53— मुख्य निर्माण कार्य, विषय शीर्ष—01 मुख्य निर्माण कार्य पी०एफ०एम०एस० कोड— 3674 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विशेष राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2026—27 में विकलनीय है।

04. उक्तालोक में स्वीकृत विशेष राज्यांश मद में ₹18.12185 लाख की निकासी विभागीय उप सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

उक्त राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म—46 में विपत्र तैयार कर की जायेगी तत्पश्चात कार्यकारी एजेंसी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उनके अपने पी०एल० खाता सं०— CFMS-PBBPLA007 (Ledger ID-14606) में जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार व्यय किया जायेगा।

05. कार्यकारी एजेंसी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा उक्त परियोजना का Geo-tagging कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

06. वित्त विभाग के पत्रांक—7355/वि० दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

क्र०पृ०उ०